कम्प्यूटर परिपत्र सं॰- 1617002 Date 12.04.2016

पत्र संख्या-विधि-3(2)/पंजीयन(16-17)परिपत्र भाग-3/ 43 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग
लखनऊ:: दिनांक::12 अप्रैल 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन स्तर पर की गयी समीक्षा में पाया गया कि प्रदेश में हो रही जनसंख्या वृद्धि एवं विकास के सापेक्ष वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या अत्यधिक कम है। अन्य राज्यों में प्रति हजार जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत व्यापारियों की संख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति हजार जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत व्यापारियों की संख्या अत्यधिक कम है। इसी कारण शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 1.25 लाख व्यापारियों को पंजीकृत कराने का लक्ष्य रखा गया था। कतिपय जोन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में पर्याप्त रुचि लेने के कारण उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य के 90 प्रतिशत या उससे अधिक की प्राप्ति सुनिश्चित की गयी किन्तु कतिपय जोन द्वारा इस कार्य में अपेक्षित रुचि न लेने के कारण इन जोन में नये व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने का लक्ष्य 90 प्रतिशत से भी कम रहा है। प्रदेश में प्रति हजार की जनसंख्या के सापेक्ष पंजीकृत व्यापारियों की संख्या को देखते हुए इस क्षेत्र में अभी पर्याप्त संभावनायें हैं तथा अभी और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए वित्तीय 2016-17 हेतु नये व्यापारियों को पंजीकृत कराये जाने का लक्ष्य जोनवार निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

क्रम संख्या	जोन	निर्धारित लक्ष्य
1	आगरा	6100
2	अलीगढ़	7500
3	इलाहाबाद	8300
4	बरेली	7300
5	इटावा	5900
6	फैजाबाद	11200
7	गौतमबुद्धनगर	6900
8	गाजियाबाद I	6500
9	गाजियाबाद II	4700
10	गोरखपुर	12000
11	झांसी	5900
12	कानपुर I	3900
13	कानपुर II	5100
14	लखनऊ I	8100
15	लखनऊ II	8400
16	मेरठ	5300
17	मुरादाबाद	10600
18	सहारनपुर	5800
19	वाराणसी I	6800
20	वाराणसी II	13700
	योग	150000

उक्त निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि माह अप्रैल से ही इस संबंध में कार्य योजना बनाकर उसके अनुरुप कार्य किया जाए तथा मुख्यालय द्वारा Online पंजीयन के लिए समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पंजीयन प्रार्थनापत्रों के निस्तारण हेतु निम्नवत् निर्देश जारी कर उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए :-

1- Online पंजीयन प्रार्थनापत्रों का निस्तारण गैर संवेदनशील वस्तुओं के मामलों में एक कार्य दिवस एवं संवेदनशील वस्तुओं के मामलों में व्यापार स्थल की जांचोपरान्त 15 दिन में पूर्ण कर लिया जाए।

2- गैर संवेदनशील वस्तुओं की प्रान्त के अन्दर खरीद बिक्री करने वाले व्यापारियों , जिनका टर्नोवर रु050 लाख से कम संभावित है , के मामलें में जमानत की मांग न की जाए। इस संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1625/ (1516044) दिनांक 26.10.2015 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं , जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3- पंजीयन जारी करने से पूर्व बायोमैट्रिक कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: मात्र इस कारण किसी पंजीयन प्रार्थनापत्र को लम्बित न रखा जाए 1

4- जिन प्रार्थनापत्रों को Hold पर रखा जाए , उनके संबंध में आवेदनकर्ता को टेलीफोन द्वारा पायी गयी कमियों से अवगत कराते हुए अधिकतम 7 दिन के अन्दर कमियों का निराकरण कराने हेतु सूचित किया जाए एवं कमियों के निराकरण के उपरान्त नियमानुसार एक कार्यदिवस में पंजीयन जारी कर दिया जाए।

5- पंजीयन आवेदनपत्र को मात्र तकनीकी बिन्दुओं पर कोई आवेदन अस्वीकार न किया जाए और कमियों को पूर्ण कराने में आवेदन कर्ता को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए।

6- जारी किये गये पंजीयन के संबधं में पूर्व जारी निर्देशों के अनुसार गैर संवेदनशील वस्तुओं के संबंध में पंजीयन जारी किये जाने की तिथि के 15 दिन के अन्दर व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया जायेगा तथा सर्वेक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा व्यापार स्थल की फोटो, स्वयं की फोटो सहित अपने मोबाइल कैमरे/कैमरे से लेकर दिनांक व समय सहित Upload की जायेगी।

7- लम्बित प्रार्थनापत्रों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा की जाए तथा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में प्रार्थनापत्रों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

8- रेलवे स्टेशन परिसर में एवं उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन परिसर में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त करके उन्हें पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही की जाए

पंजीयन लक्ष्य की प्राप्त सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर से विभिन्न व्यवसायों की अलग-अलग सूचियॉ पूर्व में समस्त जोन को उपलब्ध करा दी गयी हैं। इन सूचियों की जोनल स्तर पर समीक्षा करके इसमें से अभी तक पंजीयन न लेने वाले व्यापारियों को नियमानुसार पंजीकृत कराये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त जोन स्तर पर भी प्रचलित व्यवसायों का व्यवसाय करने वाले पंजीकृत व्यापारियों की समीक्षा कर जोन के ऐसे व्यवसायों को चिन्हित किया जाए जिनमें पंजीकृत व्यापारियों की संख्या अपेक्षित मानक के अनुरुप नहीं है। इस संबंध में विभिन्न स्रोतों से सूचनायें एकत्र करके उन्हें पंजीकृत कराने हेतु विधिक कार्यवाही सम्पादित करायी जाए 1

उक्त दिशा निर्देश मात्र मार्गदर्शक दिशा निर्देशों के रुप में हैं तथा इस संबंध में अपने जोन की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना बनाकर पंजीयन लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति

सुनिश्चित करने का दायित्व जोनल एडीशनल कमिश्नर , एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) का है । अतः तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए । भविष्य में यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा पंजीयन लक्ष्य प्राप्त करने में अपेक्षित रुचि नहीं ली गयी है तो उसके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्त निर्देशों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर के निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।